



निगरानी क्रमांक

/ 2016

प्रस्तुती दिनांक -

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर के समक्ष

शाहरुख खान पिता मोहम्मद हनीफ
आयु - 23 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार
निवासी - 108, पटेल नगर खजराना, इन्दौर

R4434 PDR/16

- निगरानीकर्ता

विस्तु

1— म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, जिला इन्दौर

2— तहसीलदार महोदय इन्दौर
विजय नगर क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय
मोती तबेला, इन्दौर

— प्रत्यर्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विजय नगर तहसील
इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया एवं उसके
तहत जारी सूचनापत्र क्रमांक 152/री-2/2016, दिनांक
07/12/2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी
याचिका सादर प्रस्तृत करता है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि, संबंधित सूचनापत्र ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर रिथित भूमि सर्वे क्रमांक 325/3/2/1 एवं सर्वे क्रमांक 325/3/2/2, रकबा क्रमशः 1.452 है. एवं 1.543 है. रिथित भूमि के बाबद जारी किए गए है। वस्तुतः संबंधित भूमि के बाबद नगर भूमि सीमा 1972 के अधिनियम 1972 के अधीन प्रकरण लंबित रहा है। अधिकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी ४५३४-पीबीआर/16

जिला झाबुआ

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
22-1-2019	<p>अनावेदक पक्ष शासन की ओर से श्री हेमन्त मूँगी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-4-2019 को उपस्थित हों । आवेदक सूचित हो ।</p> <p> वीडी</p> <p> अध्यक्ष</p>	